

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**फरवरी-मार्च, 2026 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 5, 1947)**

**समय 11.00 बजे दिन.**

## 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) (च) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2024-2025 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 15 वां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019, 16 वां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020, 17 वां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 तथा 18 वां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार निम्नांकित अधिसूचनाएं:-

(क) क्रमांक TRP-0057-2025-Sec-1आठ-(TRP), दिनांक 12 जनवरी, 2026,

(ख) क्रमांक एफ-22-02-2019-आठ, दिनांक 16 जनवरी, 2026,

(ग) क्रमांक TRP-0086-2025-Sec-1आठ-(TRP), दिनांक 23 जनवरी, 2026,

(घ) क्रमांक 3-3-0004-2025-Sec-1-आठ-(TRP), दिनांक 23 जनवरी, 2026,

(ङ) क्रमांक TRP/15/0007/2025-Sec-1-08(TRP), दिनांक 29 जनवरी, 2026, तथा

(च) क्रमांक TRP-3-0001-2025-Sec-1आठ-(TRP), दिनांक 09 फरवरी, 2026,

पटल पर रखेंगे.

## 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के भीकनगांव एवं झिरन्या क्षेत्र अंतर्गत जमीनों का बन्दोबस्त कार्य न कराए जाने से राजस्व संबंधी व्यवहारिक कठिनाईयों से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) सर्वश्री दिनेश राय मुनमुन, रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य, जिला सिवनी एवं केवलारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नहर निर्माण/सीमेंटीकरण का कार्य पूर्ण न होने से कृषकों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री हरिशंकर खटीक, सभापति, शासकीय आश्रवासनों संबंधी समिति का तेईसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अट्ठाईसवां एवं उनतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

## 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम डीघी से खिरवा तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने,
- (2) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम बाकाखोदरी में लिफ्ट इरीगेशन को सौर ऊर्जा द्वारा चालू कराये जाने,
- (3) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम भोय से नहर होते हुये कामद रोड तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (4) श्री आतिफ आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल शहर के बाग मुंशी हुसैन खां एवं अन्य क्षेत्रों की सड़कों, नालियों के निर्माण एवं मरम्मत कराये जाने,
- (5) श्री अरूण भीमावद, सदस्य, शाजापुर जिले के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाये जाने,
- (6) डॉ. सतीश शिकरवार, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड क्रमांक-60 में विक्री फैक्ट्री से लालियापुरा के सामने से वाले का पुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (7) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के दिनारा तालाब किनारे प्राचीन गिराज धरण मंदिर का कोरीडोर बनवाये जाने,
- (8) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के शासकीय हाई स्कूल भेलसी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कराये जाने,
- (9) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम पुसेरा से कुदवारी मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (10) श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम बोहानी तहसील गाडरवारा का नवीन तहसील में गठन कराये जाने,

- (11) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के ग्राम हनुमन्त्याकांग से टाण्डाखेड़ा तक डामरीकरण मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (12) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, सागर जिले के लक्ष्मीपुरा वार्ड में सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य कराये जाने,
- (13) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के ग्राम कोहका से सीतामुआर तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (14) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी, सदस्य, मैहर जिले के बरही रोड का सुदृढीकरण कराये जाने,
- (15) श्री बिसाहलाल सिंह, सदस्य, अनूपपुर जिले के पोडी से दुलहा तालाब दुलहरा तक पक्की नाली का निर्माण स्वीकृत कराये जाने,
- (16) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के कुमनगांव-परसवाडा-बघोली में रेंज कार्यालय खोले जाने,
- (17) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम बनकी से लच्छापुरवा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (18) श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य, पन्ना जिले के रैपुरा में पतने नदी पर स्टाप डेम/बैराज निर्माण कराये जाने,
- (19) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम कोटरा स्टेशन से रेल्वे फाटक के आगे से मनोज मलहा बसाहर तक सी.सी. सड़क निर्माण कराये जाने,
- (20) श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार, सदस्य, मुरैना जिले के अम्बरीश का पुरा से काली माता मंदिर तक डामरीकरण कराये जाने,
- (21) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा अंतर्गत ग्राम हनुमंतिया से मार्तण्डगंज तक एवं अन्य ग्रामों में सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (22) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी जिले के बहोरीबंद अंतर्गत सोमाकला प्राथमिक शाला भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने,
- (23) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य, धार जिले की ग्राम पंचायत परवार (सामजीपुरा) एवं सरसगांव के मध्य मान नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (24) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम हरियाखेड़ी से संजीव फार्म व्हाया ऐसवाया तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (25) श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम गोहिन्दा से सहोना तक सड़क/रपटा निर्माण कराये जाने,
- (26) इंजीनियर प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले की ग्राम पंचायत रतौना जलाशय का सुधार कार्य कराये जाने,
- (27) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम कुसेरा सिद्धबाबा तिराहे से पिपरिया मझेटोला तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (28) श्रीमती रीती पाठक, सदस्य, सीधी नगर स्थित टैक्सी एवं ऑटो स्टैंड का निर्माण तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने,
- (29) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम ईमलीखेड़ा से बेहरावल पहुंच मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
- (30) श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम गभौरा एवं अन्य ग्रामों की विद्युत लाईन को गुनौर-सथनिया लाईन से जुड़वाये जाने,
- (31) श्री मोंटू सोलंकी, सदस्य, बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत केरमला में चिलारिया रोड से भुगवाडे फल्या तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (32) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य, धार जिले के ग्राम हल्दी में बिजली ट्रांसफार्मर एवं पोल लगवाये जाने,
- (33) श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम रामलालपुरा में नवीन विद्यालय स्वीकृत कराये जाने,
- (34) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम दरी के नगरा एवं रसोई मार्ग के नरोसा नाला पर पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (35) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम तलवाड़ा बुर्जुग में सुसाड़ नदी भमोरी रोड पर पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (36) सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती), सदस्य, छतरपुर जिले के भोजपुरा में अनुसूचित जाति बस्ती से पुरानी बस्ती की ओर सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,
- (37) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम भाटखेड़ी में स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनवाये जाने,
- (38) श्री अभय मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम सिरमौर की ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य कराये जाने,
- (39) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य, रतलाम जिले के सैलाना-शिवगढ़ मेन रोड से मन्याबारी होते हुये पागडिया मोऊडी तक रोड निर्माण कराये जाने,
- (40) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम दारू में नवीन हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन निर्माण कराये जाने,
- (41) श्री विपीन जैन, सदस्य, मंदसौर शहर स्थित कालाखेत शापिंग काम्प्लेक्स को साठिया समुदाय के अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने,
- (42) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, मण्डला जिले के ग्राम लाटो एवं अन्य ग्रामों में पक्की सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत कराये जाने,
- (43) श्री हजारीलाल दांगी, सदस्य, राजगढ़ नगर खिलचीपुर में सिटी पोर्शन कॉलेज पहुंच मार्ग एवं रेल्वे स्टेशन तक स्ट्रीट लाईट कार्य स्वीकृत कराये जाने,
- (44) श्री मोहन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले बैरसिया-उकारपुरा मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (45) श्री सचिन बिरला, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम राहड़कोट-मोगावां के मध्य बाकुड़ नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (46) श्री ऋषि अग्रवाल, सदस्य, गुना जिले की बमोरी अंतर्गत रोड, पुल-पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (47) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य, रायसेन जिले के गैरतगंज शासकीय स्नातक एवं शासकीय कन्या महाविद्यालय रायसेन में अन्य विषयों की कक्षायें प्रारंभ कराये जाने,
- (48) श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम दौलतपुर बिजली घर के पास रपटा निर्माण कराये जाने,
- (49) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत अचर्रा तिगैला मुख्य सड़क से केशवगढ़ तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (50) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के बेहरई से बम्हनी पहुंच मार्ग के मध्य बडगुड नाले पर उच्चस्तरीय पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (51) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के बालागांव-मगरधा रोड से झुण्डगांव तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (52) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी जिले के मजरा बनगांय से माता मंदिर की ओर एवं झांसी-ललितपुर हाईवे से बनगांय बायपास तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (53) श्रीमती मनीषा सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के बेला मदवाही से महरोई अमझोर पहुंच मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (54) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य, जिला सिवनी से मण्डला मार्ग को फोरलाईन किये जाने,
- (55) श्री गौरव सिंह पारधी, सदस्य, बालाघाट जिले के मोवाड़ से महालगांव सड़क पर बावनघड़ी नदी पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

- (56) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य, अलीराजपुर जिले की ग्राम पंचायत किलाना में रिंगवान्ड सह स्टॉप डेम निर्माण कराये जाने,  
(57) श्री भैरो सिंह बापू, सदस्य, आगर मालवा जिले के ग्राम टिकोन से मोहना तक सड़क निर्माण कराये जाने,  
(58) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य, ग्वालियर जिले के सूरु बेहटा मेन रोड से ग्राम फूलपुरा आंगनवाड़ी तक सड़क निर्माण कराये जाने,  
(59) श्रीमती प्रियंका पैची, सदस्य, गुना जिले के बीनागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन कराये जाने,  
(60) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा, सदस्य, नर्मदापुरम जिले के ग्राम रैषलपाठा से पीपलपुरा के मध्य पुलिया निर्माण कराये जाने,  
(61) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, मऊगंज जिले के ग्राम बिरहा गिरवर सिंह नदी में चेक डेम निर्माण कराये जाने,  
(62) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम दनवास से अगरा तिराहे तक डामरीकृत सड़क निर्माण कराये जाने,  
(63) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्रामों में नल जल योजना की गुणवत्ता की जांच एवं अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण कराये जाने,  
(64) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के पावई माता मंदिर, कोषढ माता मंदिर एवं अन्य मंदिरों में विकास कार्य कराये जाने,  
(65) श्री राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम नागदा में तालाब निर्माण कराये जाने,  
(66) श्री महेंद्र रामसिंह यादव, सदस्य, शिवपुरी जिले के कोलारस अंतर्गत ग्राम खतौरा में शासकीय महाविद्यालय कॉलेज खुलवाये जाने,  
(67) कुँवर अभिजीत शाह, सदस्य, हरदा जिले के टिमरनी अंतर्गत आदिवासियों को कृषि/आवासीय पट्टा दिलाये जाने,  
(68) श्री केदार चिडाभाई डावर, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम बिस्तान में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने,  
(69) श्री केशव देसाई, सदस्य, ग्राम माहो में सुरेश नागर के घर से नहर तक सड़क निर्माण कराये जाने,  
(70) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर, सदस्य, सीहोर जिले के आष्टा अंतर्गत ग्राम हाजीपुर में पुलिया निर्माण कराये जाने,  
(71) श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य, भोपाल शहर की आदमपुर खंती में जमा कचरे के निष्पादन कराये जाने,  
(72) डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर शहर के दीनदयाल मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कराये जाने,  
(73) श्री विवेक विक्री पटेल, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम मेंहदीवाडा के प्राथमिक शाला भवन का मरम्मतीकरण कार्य किये जाने,  
(74) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम धामनोद से ईशरथुनी मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराये जाने, तथा  
(75) श्री भगवानदास सबनानी, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्रमांक-32 स्थित टीन शेड मार्केट में बनी शराब की दुकान को हटाये जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित  
समय

## 6. संविहित संकल्प

श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री पर्यावरण, निम्नलिखित संविहित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

“यतः जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वास्थ्यप्रदता बनाए रखने या पूर्वावस्था में लाने के लिए, पूर्वोक्त प्रयोजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों की स्थापना करने, उनसे संबंधित शक्तियां और कृत्य ऐसे बोर्डों को प्रदत्त करने और समनुदेशित करने और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु संसद ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) अधिनियमित किया था;

और यतः, विधि के प्रवर्तन में कतिपय कमियां देखी गई हैं और तदनुसार संसद ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का 5) अधिनियमित किया गया है;

और यतः, इस विधान सभा ने 28 दिसम्बर, 1973 को उक्त अधिनियम को अंगीकृत करने का संकल्प पारित किया था;

और यतः, यह वांछनीय है कि संसद द्वारा बनाये गये उक्त अधिनियम को मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाए;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में यह विधान सभा एतद् द्वारा, यह संकल्प करती है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का 5) मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाए.”

## 7. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमशः)

1 घण्टा  
30 मि.

- (1) मांग संख्या – 22 नगरीय विकास एवं आवास  
मांग संख्या – 28 राज्य विधान मण्डल

45 मि.

- (2) मांग संख्या – 33 जनजातीय कार्य  
मांग संख्या – 42 भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास  
मांग संख्या – 45 लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन

30 मि.

- (3) मांग संख्या – 49 अनुसूचित जाति कल्याण

1 घण्टा  
30 मि.

- (4) मांग संख्या – 24 लोक निर्माण कार्य

1 घण्टा  
30 मि.

- (5) मांग संख्या – 19 लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

1 घण्टा  
30 मि.

- (6) मांग संख्या – 27 स्कूल शिक्षा  
मांग संख्या – 36 परिवहन

30 मि.

- (7) मांग संख्या – 44 उच्च शिक्षा  
मांग संख्या – 38 आयुष  
मांग संख्या – 47 तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

भोपाल :  
दिनांक : 23 फरवरी, 2026

अरविन्द शर्मा  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.